रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33001/96 REGISTERED NO. DL-33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 1996/फाल्गुन 26, 1917
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 1996/PHALGUNA 26, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1996

सा.का.नि. 125.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 में और आगे संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते , अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण), नियंत्रण तथा अपील) द्वितीय संशोधन नियम 1996 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 की अनुसूची के भाग II में, कालम 4, के क्रम सं. 9, में "दूरभाष जिला प्रमुख, महाप्रबंधक, दूरसंचार स्टोर; महाप्रबंधक परियोजना", प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"दूरभाष जिला प्रमुख; वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के दूरसंचार जिला दूरसंचार क्षेत्र प्रमुख; दूरसंचार स्टोर महाप्रबंधक; महाप्रबंधक परियोजनाएं"

[संख्या –11012/3/96–स्थापना (क)]

कृष्ण मेनन, उप सचिव

पाद टिप्पण :—

मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 20.11.1965 को अधिसूचना सं. 7/2/63-स्था. (क) द्वारा प्रकाशित किए गए तथा तदनंतर निम्नलिखित संख्याओं तथा तारीखों में भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए।

1966	का.आ.	1149	दिनांक	13.04.66
	का.आ.	1596	दिनांक	04.06.66
	का.आ.	2007	दिनांक	09.07.66
	का.आ.	2648	दिनांक	02.09.66
	का.आ.	2854	दिनांक	01.10.66
1967	का.आ.	1282	दिनांक	15.04.67
	का.आ.	1457	दिनांक	29.04.67
	का.आ.	3253	दिनांक	16.09.67
	का.आ.	3530	दिनांक	07.10.67
	का.आ.	4151	दिनांक	25.11.67
1968	का.आ.	321	दिनांक	09.03.68
	का.आ.	1441	दिनांक	27.04.68

Attested

21/11/12

506 GI/96—1.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1996

सा. का. नि. 134.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:—

(1) यह योजना कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 1996 कहलाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में

(1) पैराग्राफ 2 में, उप पैराग्राफ 1 में,—

(क) "प्राप्त" शब्द जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "प्राप्त अथवा प्राप्य हैं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खण्ड (vii) में,

(i) उप-खण्ड (iii) में शब्द "अविवाहित" हटा दिया जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण में, "सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु से पूर्व वैधानिक रूप से गोद लिए गए" शब्दों के लिए "सदस्य द्वारा वैधानिक तौर पर गोद लिए गए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खण्ड (xi) में "और जो मासिक रूप से विधवा/विधुर पेंशन प्राप्त कर रहा हो" शब्द हटा दिए जाएंगे;

(घ) खण्ड (xvi) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

"(xvi) "स्थायीपूर्ण अपंगता" का तात्पर्य स्थायी स्वरूप की ऐसी अपंगता से है जिससे एक कर्मचारी अपंगता के समय जो कार्य कर रहा था/कर रही थी उसके लिए अक्षम हो जाए, चाहे ऐसी अपंगता रोजगार के दौरान अथवा अन्यथा आयी हो";

(2) पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (1) में "सदस्य" शब्द के लिए "प्रत्येक सदस्य" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा";

(3) पैराग्राफ 6 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"6. कर्मचारी पेंशन योजना की सदस्यता बशर्ते कि पैराग्राफ 1 का उप-पैरा (3), योजना प्रत्येक कर्मचारी के लिए लागू होगी—

(क) जो 16 नवम्बर, 1995 का अथवा इसके पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 अथवा अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा छूट प्राप्त कारखानों या अन्य प्रतिष्ठानों के भविष्य निधि का सदस्य हो जाता है अथवा जिसके मामले में ऐसी सदस्यता की तारीख से कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 27 अथवा 27-क के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है;

(ख) 16 नवम्बर, 1995 से इस योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व बंद हो गई कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य रहा है।

(ग) जो 1 अप्रैल, 1993 और 15 नवम्बर, 1995 के बीच कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य नहीं रहा है और पैराग्राफ 7 के अंतर्गत अपना विकल्प देने की इच्छा व्यक्त करता है।

(घ) जो अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा छूट प्राप्त कारखानों अथवा अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य रहा है अथवा जिसके मामले में 15 नवम्बर, 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 पैराग्राफ 27 अथवा 27-क के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है लेकिन बंद हो गयी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य नहीं रहा है और पैराग्राफ 7 के अंतर्गत अपना विकल्प देने की इच्छा व्यक्त करता है।"

(4) पैराग्राफ 7 के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

7. "योजना में शामिल होने के लिए विकल्प

(1) पैरा 6 के उप-पैरा (ग) के अंतर्गत उल्लिखित सदस्य जिनकी 1 अप्रैल, 1993 से 15 नवम्बर, 1995 के मध्य मृत्यु हुई हो, को अपनी मृत्यु की तिथि पर योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया माना जाएगा।

(2) पैरा 6 के उप-पैरा (ग) के अंतर्गत उल्लिखित सदस्य जो जीवित है को पैरा 17 के उपबंधों के अनुसार रोजगार छोड़ने की तिथि से योजना में शामिल होने का विकल्प प्राप्त होगा।

(3) पैरा 6 के उप-पैरा (घ) के अंतर्गत उल्लिखित सदस्य को पैरा 17 के उपबंधों के अनुसार 16 नवम्बर, 1995 से योजना में शामिल होने का विकल्प प्राप्त होगा।

(5) पैरा 10 के उप-पैरा (1) में "जमा कराए गए" शब्द के लिए "जमा कराए गए या जमा योग्य" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

Attested

विनोद कौशिकी
उप सचिव, प्रकाशन विभाग,
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54
21/11/9

(6) पैरा 11 में,—

(क) उप-पैरा (1) में "प्राप्त" शब्द से पूर्व "उजरती दर सहित किसी भी रूप में," शब्द जोड़े जाएंगे ।

(ख) उप-पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जाएगा, अर्थात्:—

"बशर्ते कि यदि नियोजक और कर्मचारी द्वारा विकल्प दिए जाने पर इस योजना के प्रारंभ होने की तिथि से प्रति माह 5000 रुपए से अधिक के वेतन पर अंशदान करने की तिथि को, अथवा वेतन 5000 रुपए से अधिक हो जाने की तिथि को, जो भी बाद में हो, और नियोजक के हिस्से को 8.33% राशि पेंशन निधि में जमा किए जाने पर, पेंशन योग्य वेतन ऐसे उच्च वेतन पर आधारित होगा ।"

(7) पैरा 12 में,—

(क) उप-पैरा (2) में "यदि सदस्य ने 20 वर्ष की सेवा की है तो अल्प सेवा पेंशन की राशि की संगणना उपरोक्त घटक के अनुसार पहले की जाएगी । इस प्रकार से निकाली गई राशि में 6 प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष हेतु कमी की जाएगी, यदि 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं होती है, परन्तु यह कटौती 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।" शब्द और अंक हटा दिए जायेंगे ।

(ख) उप-पैरा (3) में:—

(i) "जो परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य है" शब्दों के लिए "जो बंद हो गई परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य था" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ii) खंड (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"(ख) पूर्व सेवा पेंशन लाभ निम्नानुसार होंगे:—

16-11-1995 को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर देय पूर्व सेवा लाभ ।

पूर्व सेवा के वर्ष	250 रुपए प्रतिमाह तक वेतन	2500 रुपए प्रतिमाह से अधिक वेतन
(i) 11 वर्ष तक	80	85
(ii) 11 वर्ष से अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम	95	105
(iii) 15 वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम	120	135
(iv) 20 वर्ष से अधिक	150	170

कम से कम 800/- रुपये प्रति माह की सीमा तक बशर्ते कि पूर्व सेवा 24 वर्ष है । यदि सदस्य की कुल सेवा 24 वर्ष से कम है तो उपर्युक्त पेंशन और गणना किये गये लाभों को उसी अनुपात में कर दिया जायेगा परन्तु 450/- रुपये प्रति माह से कम नहीं होगा ।

(iii) खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) देय पूर्व सेवा पेंशन की गणना के लिए, 16-11-95 के पश्चात् 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर, उपर्युक्त कॉलम (2) या कॉलम (3) जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत लाभ को 16-11-95 और 58 वर्ष की आयु पूरी करने के मध्य की अवधि के समक्ष सारणी-ख में दिये गये गुणक से गुणा किया जायेगा ।"

(ग) उप-पैरा (4) और (5) में "जो वर्तमान परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य है" शब्दों के लिए "जो बंद हो गई परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य था" क्रमश: प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(घ) उप-पैरा (7) में, "जहां 50 वर्ष की आयु नहीं होती है वहां प्रत्येक वर्ष हेतु 6 प्रतिशत की दर से पेंशन की राशि में कटौती की जाएगी । बशर्ते कि यह कटौती 25% से अधिक नहीं होगी ।" शब्दों और अंकों के लिए "जहां 58 वर्ष की आयु नहीं होती है वहां प्रत्येक वर्ष हेतु 3 प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी" शब्द, अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(8) पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

"12क. संराशीकरण के लिए विकल्प

पेंशन के लिए पात्र सदस्य, परापाफ 12 के अंतर्गत सामान्यतया अनुमेय पेंशन के बदले में, इस योजना के प्रारम्भ से तीन वर्षों के पूरा होने पर, अपनी पेंशन की अधिकतम एक तिहाई राशि को संराशीकृत करने का विकल्प दे सकता है जिससे पेंशन के संराशीकृत मूल्य के रूप में यथा संराशीकृत सौ गुनी मासिक पेंशन प्राप्त कर सके । शेष पेंशन की अदायगी पैराग्राफ 13 के अंतर्गत दिए गए विकल्प के अनुसार की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :—उदाहरण के लिए यदि पैराग्राफ 12 के अंतर्गत सामान्य पेंशन 600/- रुपये है, और पेंशन-भोगी इस मासिक पेंशन का एक तिहाई संराशीकृत करने का विकल्प देता है तो संराशीकृत राशि $1/3 \times 600 \times 100 = 20,000$ रुपये के बराबर होगी तथा उसकी अदायगी संराशीकरण के लिए विकल्प देते समय ही की जाएगी । मासिक आधार पर संदेय पेंशन की शेष राशि 400.00 रु. है ।"

Attested [signature]

निदेशक अधिकारी
लेखा प्रभाग, प्रकाशन विभाग,
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54
9/11/12

(9) पैराग्राफ 13 में,

(क) उप-पैराग्राफ (1) में, आंकडा "12" के पश्चात्, "पैराग्राफ 12-क के अंतर्गत पेंशन के संराशीकरण, यदि कोई हो, के अधीन" शब्द जोड़े जाएंगे,

(ख) स्पष्टीकरण 1 में, "विधवा" शब्द के स्थान पर, "पति-पत्नी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ग) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 4—पैरा 12-क के अन्तर्गत संराशीकरण के लिए विकल्प दिए जाने के मामलों में संराशीकरण के पश्चात् संदेय शेष मासिक पेंशन को इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ मूल मासिक पेंशन माना जाएगा।"

(10) उप-पैराग्राफ (1) में पैराग्राफ 14 के, आंकड़ा "10" के स्थान पर आंकड़ा "9" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(11) पैराग्राफ 16 में :—

(i) उप-पैराग्राफ 1 में,—

(क) "परिवार पेंशन" शब्दों के स्थान पर "परिवार के लिए पेंशन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) खण्ड (ख) में, "पेंशन विहित किए जाने से पूर्व अथवा" शब्दों के स्थान पर "पेंशन अदायगी के प्रारम्भ से पूर्व अथवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ii) उप-पैराग्राफ (3) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) जब तक बालक की आयु 25 वर्ष नहीं हो जाती मासिक बाल पेंशन संदेय होगी,

(iv) उप-पैराग्राफ (4) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) मासिक अनाथ पेंशन एक बार में अधिकतम दो अनाथ बालकों के लिए अनुमेय होगी और इसे सबसे बड़े अनाथ से सबसे छोटे अनाथ के क्रम में दिया जाएगा।"

(12) पैराग्राफ 16 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"16क. पेंशन संबंध लाभों की गारंटी

पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा अपेक्षाओं के अनुपालन के अभाव में किसी भी सदस्य अथवा लाभानुभोगी को इस योजना के अंतर्गत पेंशन संबंधी किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, परन्तु, तथापि, नियोजक इस योजना के अंतर्गत अपने दायित्वों से बच नहीं पाएगा।"

(13) पैराग्राफ 17 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"17. विकल्प का प्रयोग करने पर अदायगी :—

(1) पैरा 7 के उप-पैरा (1) में संदर्भित, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के मृत सदस्यों के लाभानुभोगी, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधीन प्राप्त लाभों और इस योजना के अधीन प्राप्त लाभों में से उच्चतर लाभ प्राप्त करेंगे।

(2) पैरा 7 के उप-पैरा (2) में सन्दर्भित सदस्य, प्राप्त आहरित लाभ, यदि कोई हो, और साथ ही, ऐसे आहरण की अदायगी की तिथि से और इस योजना के उपबंधों के अधीन मासिक पेंशन प्राप्त करने का विकल्प का प्रयोग करने की तिथि तक की अवधि के लिए 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज की राशि वापस करके इस योजना के अधीन शामिल होने का विकल्प कर सकेंगे।

(3) पैरा 7 के उप-पैरा (3) में संदर्भित सदस्यों को, उनके द्वारा पिछली अवधि का अंशदान और उस पर ब्याज की अदायगी कर देने के बाद; 1-3-1971 से उक्त बन्द कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में शामिल कर लिया गया मान लिया जाएगा।

(14) पैरा 23 में, शीर्षक में "सदस्यों" शब्द के स्थान पर "संख्याओं" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(15) पैरा 32 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :

"(1) केन्द्रीय सरकार स्वयं द्वारा नियुक्त एक मूल्यांकन द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन कराएगी।"

(16) पैरा 39 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"39. पेंशन योजना के प्रवर्तन से छूट :—

समुचित सरकार किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान-वर्ग को इस योजना के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकती है, यदि उस प्रतिष्ठान के कर्मचारी या तो किसी अन्य पेंशन योजना के सदस्य हैं अथवा किसी ऐसी पेंशन योजना के सदस्य होना चाहते हैं जिसमें पेंशनरी लाभ बराबर हैं अथवा इस योजना के अधीन दिए जाने वाले लाभों से अधिक हितकारी हैं। जहां इस पैरा के अधीन किसी प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान वर्ग को छूट प्रदान की जाती है, तो बन्द परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधीन ऐसे प्रतिष्ठान (नों) के कर्मचारियों के जमा खाते में उपलब्ध आहरण लाभ इस प्रकार से छूट प्रदान किए गए प्रतिष्ठान (नों) के पेंशन निधि में, कर्मचारियों की सम्मति प्राप्त करके, जमा कर दिया जाएगा। इस पैरा के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए, उक्त प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठान वर्ग द्वारा उसकी अधिकारिता में आने वाले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को एक आवेदन और साथ ही प्रतिष्ठान (नों) की पेंशन योजना की एक प्रति और अन्य संगत दस्तावेज, जैसा कि उसके द्वारा मांग

Attested

[illegible] अधिकारी
[illegible] सरकार, प्रकाशन विभाग,
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
21/1/12

की जाए,-प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा आवेदन प्राप्त करने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उसकी संवीक्षा करेगा और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की सिफारिशें अभिप्राप्त करेगा और उसे समुचित सरकार को उनके निर्णय के लिए प्रस्तुत कर देगा इस पैरा के अधीन छूट के लिए दिए गए आवेदन पर कार्रवाई लम्बित रहने पर, नियोक्ता के हिस्से का अंशदान पैरा 3 के उप-पैरा '(1) में यथा अभिकल्पित रूप में पेंशन निधि में जमा नहीं किया जाएगा। इस पैरा के अधीन प्रस्तुत किया गया छूट से संबंधित आवेदन उसे प्राप्त करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर अथवा यथा विस्तारित समय के भीतर, जिसके कारण को लिखित में अभिलेख किया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। यदि छूट से संबंधित आवेदन यथा-विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं निपटाया जाता है, तो आवेदित छूट को स्वीकार किया गया मान लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :—

इस पैरा के प्रयोजन के लिए, छह माह की अवधि की उस तिथि से गणना की जाएगी जिस तिथि को छूट से संबंधित आवेदन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो"।

(17) स्तम्भ-ख में :—

(क) कोष्ठक, शब्दों और अंकों "(पैरा 14 को देखें)" के स्थान पर "(पैरा 12 और 14 देखें)" कोष्ठक, शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) "के अधीन" शब्दों के स्थान पर "बंद···· के अधीन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) प्रविष्टि (1) के नीचे "ढ" अक्षर के स्थान पर "वर्षों" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फाइल सं. एस-65015/1/96-एस.एस.-II]
जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—यह योजना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 748 (अ) दिनांक 16 नवम्बर, 1995 के तहत प्रकाशित किया गया था। इस योजना में यह पहला संशोधन प्रकाशित किया जा रहा है।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th February, 1996

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by Section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following, Schme to amend the Employees' Pension Scheme, 1995 namely :—

(1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 1996.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995,—

(1) in paragraph, 2, in sub-paragraph (1),—

(a) for the word "received", wherever it occurs, the words "received or are receivable" shall be substituted;

(b) in clause (vii),

(i) in sub-clause (iii), the word "unmarried" shall be omitted;

(ii) in the Explanation, for the words "adopted by the member legally before death in service", the words "legally adopted by the member" shall be substituted;

(c) in clause (xi), the words "and is in receipt of monthly widow|widower pension" shall be omitted;

(d) for clause (xvi), the following clause shall be substituted, namely :—

"(xvi) "Permanent total disablement" means such disablement of permanent nature as incapacitates an employee for all work which he|she was capable of performing at the time of disablement, regardless whether such disablement is sustained in the course of employment or otherwise";

(2) in sub-paragraph (1) of paragraph 4 for the words "the member", the words, 'each member" shall be substituted;

(3) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"6. Membership of the Employees' Pension Scheme.

Subject to sub-para (3) of paragraph I, the Scheme shall apply" to every employee:—

(a) who on or after the 16th November, 1995, becomes a member of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 or of the Provident Funds of the Factories and other establishments exempted by the appropriate Government under section 17 of the Act, or in whose case exemption has been granted under paragraph 27 or 27-A of the Employees Provident Fund Scheme, 1952, from the date of such membership ;

(b) who has been a member of the ceased Employees' Family Pension Scheme,

Attested
उप निदेशक/अधिकारी
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग,
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
21/4/12

1971 before the commencement of this Scheme from 16th November, 1995.

(c) who ceased to be a member of the Employees' Family Pension Scheme, 1971 between 1st April, 1993 and 15th November, 1995 and opts to exercise his option under paragraph 7;

(d) who has been a member of the Employees' Provident Fund or of Provident Funds of Factories and other establishments exempted by the appropriate Government under section 17 of the Act or in whose case exemption has been granted under Paragraph 27 or 27-A of the Employees' Provilent Fund Scheme, 1952, on 15th November, 1995 but not being a member of the ceased Employees' Family Pension Scheme, 1971 opts to exercise his option under paragraph 7".

(4) for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"7. OPTION FOR JOINING THE SCHEME

(1) Members referred to under sub-para (c) of Paragraph 6 who have died between 1st April, 1993 and 15th November, 1995 shall be deemed to have exercised the option of joining the Scheme on the date of his death.

(2) Members referred to in sub-paragraph (c) of paragraph 6 who are alive shall have the option to join the Scheme as per the provisions of paragraph 17 from the date of exit from the employment.

(3) Members referred to in sub-paragraph (c) of paragraph 6 shall have the option to join the Scheme as per the provisions of paragraph 17 from 16th November, 1995".

(5) in sub-paragraph (1), of paragraph 10, for the word "received", the words "received or receivable" shall be substituted ;

(6) in paragraph 11.—

(a) in sub-paragraph (1), after the word "drawn", the words "in any manner including on piece-rate basis" shall be inserted;

(b) after sub-paragraph (3), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that if at the option of the employer and employee, contribution paid on salary exceeding Rs. 5,000 per month from the date of commencement of this Scheme or from the date salary exceeds Rs. 5,000 whichever is later, and 8.33 per cent share of the employers thereof is remitted into the Pension Fund, pensionable salary shall be based on such higher salary".

(7) In pragraph 12,—

(a) in sub-paragraph (2), the words and figures "the amount of short service pension shall at first be computed in accordance with the above factor as if the Member has rendered eligible service of 20 years. The amount so arrived shall be reduced @ 6 per cent for every year by which the eligible service falls short of 20 years subject to a maximum reduction of 25 per cent", shall be omitted.

(b) in sub-paragraph (3):—

(i) for the worls "who is a member of the Family Pension Scheme, 1971", the words "who was a member of the ceased Family Pension Scheme, 1971" shall be substituted;

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted namely;

(b) past service pension benefit shall be as given below:—

The Past service benefit payable on completion of 58 years of age on 16-11-1995.

Years of past Service	Salary upto Rs. 2,500/- per month	Salary more than Rs. 2,500/- per month
1	2	3
(i) Up to 11 Years	80	85
(ii) More than 11 years but up to 15 years	95	105
(iii) More than 15 years but less than 20 years	120	135
(iv) Beyond 20 years	150	170

Subject to a minimum of Rs. 800 per month provided the past service is 24 years. If the agregate service of the member is less than 24 years the pension and the benefits completed as above shall be proportionately subject to a minimum of Rs. 450 per month.

Attested

[stamp in Devanagari] 21/11/12

(iii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) On completion of the age of 58 years after 16-11-95, the benefit under column (2) or column (3) above, as the case may be shall be multiplied by the factor given in Table B—Corresponding to the period between 16-11-95 and date of attainment of age 58 to arrive at past service pension payable."

(c) in sub-prgraphs (4) and (5), for the words who is a member of the existing Family Pension Scheme, 1971" the words "who was a member of the ceased Family Pension Scheme, 1971" shall respectively be substituted;

(d) in sub-paragraph (7), for the words and figures "Six percent, for every year, the age falls short of 58 years subject to a maximum reduction of 25 per cent", the words and figures "Three per cent for every year, th age falls short of 58 years" shall be substituted;

(8) after paraggraph 12, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"12A. Option for Commutation",

A member eligible to pension may, in lieu of pension normally admissible under paragraph 12, opt on completion of three years from the commencement of this Scheme, to commute upto a maximum of one-third of his pension so as to receive hundred times the monthly pension so commuted as commuted value of pension. Balance pension will be paid on monthly basis as per option exercised under paragraph 13.

Explanation.—If for example, the normal pension under paragraph 12 is Rs. 600, and the pensioner opts to commute one third of this monthly pension, the commuted value will be equal to 1|3 × 600 × 100 = Rs. 20,000 and the same shall be paid at the time of exercise of option for commutation. The balance of pension payable on monthly basis is Rs. 400.00.".

(9) in paragraph 13,—

(a) in sub-paragraph (1), after the figure "12", the words "subject to commutation of pension, if any, under paragraph 12A" shall be inserted;

(b) in Explanation 1, for the word "widow", the word "spouse" shall be substituted;

(c) after Explanation 3, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation 4.—In cases of exercise of option for commutation under paragraph 12A, balance monthly pension payable after commutation shall be deemed to be the original monthly pension for the purpose of this paragraph.".

(10) in sub-paragraph (1), of paragraph 14, for figure "10", figure "9" shall be substituted:—

(11) in paragraph 16:—

(i) in sub-paragraph 1,—

(a) For the words "The Family Pension" the words "Pension to the Family" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words "before the pension has vested or", the words, "before the commencement of pension payment or" shall be substituted;

(ii) in sub-paragraph (3), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) Monthly children pension shall be payable and the child attains the age of 25 years";

(iv) in sub-paragraph (4), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) the monthly orphan pension shall be admissible to a maximum of two orphans at a time and shall run in order from the oldest to the youngest orphan.".

(12) after paragraph 16, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"16A. GUARANTEE OF PENSIONARY BENEFITS:—

None of the pensionary benefits under this Scheme shall be denied to any member or beneficiary for want of compliance of the requirements by the employer under sub-paragraph (1) of paragraph 3 provided, however, that the employer shall not be absolved of his liabilities under the Scheme:".

(13) for paragraph 17, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"17. PAYMENTS ON EXERCISE OF OPTION.

(1) Beneficiaries of the deceased members of Employees' Family Pension Scheme, referred to in sub-para (i) of paragraph 7, shall receive higher of the benefits available under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 and under this Scheme.

(2) Members referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 7, shall have the option

Attested

21/11/12

to join this Scheme by returning the amount of withdrawal benefit received, if any, together with interest at the rate of 8.5 per cent per annum from the date of payment of such withdrawal benefit and date of exercise of the option, to receive monthly pension as per the provisions of this Scheme.

(3) Members referred to in sub-paragraph (3) of Paragraph 7 shall be deemed to have joined the ceased Employees' Family Pension Scheme, 1971, with effect from 1-3-1971 on remittance of past period contribution with interest thereon".

(14) in paragraph 23, in the heading, for the word "MEMBERS", the word "NUMBERS" shall be substituted;

(15) in paragraph 32, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(1) The Central Government shall have an annual valuation of the Employees Pension Fund made by a Valuer appointed by it.".

(16) for paragraph 39, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"39. EXEMPTION FROM THE OPERATION OF THE PENSION SCHEME.

The appropriate Government may grant exemption to any establishment or class of establishments from the operation of this Scheme, if the employees of the establishments are either members of any other pension Scheme or propose to be members of a pension scheme wherein the pensionary benefits are at par or more favourable than the benefits provided under this Scheme. Where exemption is granted to any establishment or class of establishments under this paragraph, withdrawal benefits available to the credit of the employees of such establishment(s) under the ceased Family Pension Scheme, 1971 shall be paid, subject to the consent of the employees, to the Pension Fund of the establishment(s) so exempted. An application for exemption under this paragraph shall be presented to the Regional Provident Fund Commissioner having jurisdiction by the establishment or class of establishments together with a copy of the Pension Scheme of the establishment(s) and other relevant documents as may be called for by him. On receipt of such an application, the Regional Provident Fund Commissioner shall scrutinise it, obtain the recommendations of the Central Provident Fund Commissioner and submit the same to the appropriate Government for decision. Pending disposal of application for exemption under this paragraph, employers' share of the contribution shall not be remitted to the Pension Fund as envisaged in sub paragraph (1) of paragraph 3. An application for exemption presented under this paragraph shall be disposed of within a period of six months from the date of its receipt or such further time as may be extended for reasons to be recorded in writing. If the application for exemption is not disposed of within the period so specified, the exemption applied for shall be deemed to have been granted.

EXPLANATION.—For the purpose of this paragraph, the period of six months will count from the date on which the application for exemption is given in complete form to the satisfaction of the Regional Provident Funl Commissioner."

(17) in TABLE-B,—

(a) for the bracket, words and figures "(See paragraph 14)", the bracket, words and figures (See paragraphs 12 and 14)" shall be substituted;

(b) for the words, "under the" the words, "under the ceased" shall be substituted;

(c) for alphabet "n" below column (1), the word "years" shall be substituted.

[File No. S-65015|5|1|96-SS II]
J. P. SHUKLA, Under Secy.

FOOT NOTE : The Scheme was originally published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR No. 748(E) dated 16th November, 1995. This is the first amendment being notified in the Scheme.

Attested
21/12/12

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996